भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1445

11 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय : ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार संबंधी कार्यशाला

1445. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री सुधीर गुप्ता :

श्री बिद्युत बरन महतो :

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

श्री गजानन कीर्तिकर :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नेम) में कृषि-संभार तंत्र को मजबूत बनाने के लिए पहली राष्ट्रीय परामर्शदात्री कार्यशाला आयोजित की है तथा यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) अभी तक ई-प्लेटफार्म पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने बाजारों को एकीकृत किया गया है;

(ग) अब तक ई-प्लेटफार्म पर कुल कितने किसानों/व्यापारियों ने पंजीकरण किया है तथा पहले से कितनी राशि का व्यापार हो चुका है;

(घ) संपूर्ण देश में निकट भविष्य में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी मंडियों को एकीकृत करने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा बड़े और छोटे किसानों के बीच असमानता को दूर करने के लिए तथा छोटे और सीमांत किसानों को प्रौद्योगिकी के लाभों और विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा किसानों को जल बचाने के लिए माइक्रो सिंचाई सुविधएं, कम रसायन उर्वरकों के उपयोग, आदान लागत को कम करने और लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसानों को प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)</u>

(क) जी, हां। ई-राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) में कृषि - लॉजिस्टिक में सुदृढीकरण पर राष्ट्रीय परामर्शदात्री कार्यशाला दिनांक 21.01.2020 को आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

ई-नाम के लिए कृषि लॉजिस्टिक समाधान अर्थात जांच, ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पैकेजिंग में चुनौतियां एवं नवाचार तथा भांडागार एवं ई-नाम के संबंध में परिवहन की व्यवस्था करना ताकि अंतर-मंडी एवं अंतर-राज्यीय व्यापार तथा एग्री- लॉजिस्टिक प्लेटफार्म के डिजिटली करण को बढ़ावा दिया जा सके।

(ख) अब तक, 16 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों की 585 थोक विनियमित मंडियों को ई-नाम प्लेटफार्म के साथ एकीकृत किया गया है। ई-नाम के साथ एकीकृत की गई मंडियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) 31.01.2020 तक 1.66 करोड़ किसानों तथा 1.27 लाख व्यापारियों को ई-नाम प्लेटफार्म पर पंजीकृत किया गया है। अब तक, ई-नाम प्लेटफार्म पर 93348.44 करोड़ रूपए के मूल्य का कृषि उत्पाद व्यापार दर्ज किया गया है।

(घ) ई-नाम प्लेटफार्म के साथ एकीकृत करने के लिए 421 मंडियों को चिन्हित किया गया है। ई-नाम प्लेटफार्म के साथ एकीकरण के लिए अनुमोदित मंडियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध ।।** पर दिया गया है।

(ङ) एवं (च) सरकार राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली प्रणाली के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद के लिए पारदर्शी मूल्य प्राप्ति हेतु कृषि एवं बागवानी जिंस का ऑनलाइन व्यापार किया जाता है। इस स्कीम के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने हेतु ई-नाम प्लेटफार्म पर एकसमान पहुंच है।

सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। पीएमकेएसवाई की प्रति बूंद अधिक फसल घटक का मुख्य जोर सुव्यव्स्थित/सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई) के माध्यम से फार्म स्तर पर जल प्रयोग सक्षमता पर बढ़ावा देना है। उपलब्ध जल संसाधनों के ईष्टतम उपयोग के लिए सुव्यवस्थित सिंचाई एवं बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देने के अलावा, यह घटक सूक्ष्म सिंचाई की पूर्ति करने के लिए सूक्ष्म स्तरीय जल भंडारण अथवा जल संरक्षण/प्रबंधन क्रियाकलाप में सहायता करता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) कार्यक्रम के तहत, जल की बचत हेतु जलवाहक पाईप, स्प्रिंकलर सेट तथा मोबाईल रेन गन एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, पूर्वी भारत में आरकेवीवाई की उप-स्कीम ''पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई)'' कार्यान्वित की जाती है जिसके तहत जल की बचत करने के लिए जलवाहक पाईप तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने हेतु जैव-उर्वरकों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार मृदा परीक्षण की सिफारिशों के अनुसार उर्वरक के संतुलित उपयोग तथा 100 प्रतिशत जल में घुलनशील उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

इसके अलावा, फार्म गेट पर उर्वरकों की प्रदत्त लागत तथा यूरिया इकाईयों द्वारा निवल मंडी वसूली के बीच के अंतर का भुगतान भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार किसान सस्ती सब्सिडीयुक्त मूल्य पर यूरिया प्राप्त करते हैं। फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के संबंध में सरकार ने पोषक आधारित सब्सिडी नीति कार्यान्वित की है जिसके तहत वार्षिक आधार पर सब्सिडी की निर्धारित राशि सब्सिडीयुक्त पीएंडके उर्वरकों पर प्रदान की जाती है, जो उनकी पोषक मात्रा पर आधारित होती है।

सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ''प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान'' (पीएम-आशा) की एक छत्रक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है, जिसमें मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) तथा निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट स्कीम की प्रायोगिक स्कीम शामिल हैं।

लो.स.अता.प्र.सं. 1445

अनुबंध - I

ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत की गई थोक विनियमित मंडियों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**ई-नाम के साथ एकीकृत की गई थोक विनियमित मंडियों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	22
2	छत्तीसगढ़	14
3	गुजरात	79
4	हरियाणा	54
5	हिमाचल प्रदेश	19
6	झारखंड	19
7	मध्य प्रदेश	58
8	महाराष्ट्र	60
9	ओडिशा	10
10	पंजाब	19
11	पुड्डुचेरी	2
12	राजस्थान	25
13	तमिलनाडु	23
14	तेलंगाना	47
15	उत्तर प्रदेश	100
16	उत्तराखंड	16
17	चंडीगढ़	1
18	पश्चिम बंगाल	17
कुल		**585**

लो.स.अता.प्र.सं. 1445

अनुबंध - II

एकीकृत एवं अनुमोदित मंडियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एकीकरण के लिए पीएसी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव**
1	गुजरात	44
2	पंजाब	18
3	तेलंगाना	11
4	तमिलनाडु	40
5	ओडिशा	31
6	आंध्र प्रदेश	12
7	हरियाणा	27
8	केरल*	6
9	जम्मू एवं कश्मीर	2
10	महाराष्ट्र	58
11	राजस्थान	119
12	मध्य प्रदेश	25
13	उत्तर प्रदेश	25
14	पश्चिम बंगाल	1
15	कर्नाटक	2
सकल योग		**421**

******